न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—641/2012/75 (2012/00057)

1. श्रीमती रूपी पत्नी स्व0 नानू पुत्रवधु स्व0 मांगू उर्फ मान्दू पौत्रवधु स्व0 सद्दा,
2. नारायण पुत्र स्व0 नानू पौत्र स्व0 मांगू उर्फ मान्दू, प्रपौत्र स्व0 सद्दा, समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम कानस, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
2. नगर पालिका पुष्कर जरिये अधिशाषी अभियंता, पुष्कर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 सी/12/26 दिनांक 16.2.2012.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री एस0के0भार्गव, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 17.10.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 सी/12/26 दिनांक 16.2.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कानवस, उप—तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित साबिक खाता संख्या 11 के खसरा नंबर 307, 863, 864, 16, 103, 114, 115, 310, 308 एवं 309 कुल किता 10 कुल रकबा 7—10—10 जिनके भू—संशोधन पश्चात् नवीन खसरा नंबर 331, 1065, 1066, 17, 106, 117, 118, 334, 332 एव। 333 कायम किये गये, की कृषि भूमियां खेवट खतौनी संवत् 1349 फसली, 1363 से 1365 एवं चौसाला जमाबंदी में किये गये इंद्राजात के अनुसार मांगू वल्द सद्दा के तन्हा खातेदारी एवं आधिपत्य की रही है, जो कि अपने जीवन—पर्यन्त उक्त वर्णित कृषि भूमियों पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त रहे तथा उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांटस विधिक वारिसान होकर आज दिवस तक संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु राजस्व अधिकारीगण एवं कर्मचारियों द्वारा बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये, बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के पूर्व प्रविष्टियों को परिवर्तित किया जाकर आराजी मुतनाजा को गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज

कारिज कर सिवायचक अंकित कर दिया गया । इस गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज के आधार पर विद्वान जिलाधीश, अजमेर द्वारा बिना भौतिक आधिपत्य की जांच किये तथा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपने एकपक्षीय आदेश दिनांक 16.2.2012 से अन्य कृषि भूमियों के साथ उक्त वर्णित कृषि भूमियों को अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत रेस्पो0 संख्या 2 नगर पालिका, पुष्कर को हस्तातंरित किये जाने की गैरकानूनी आज्ञा पारित कर दी । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि विद्वान जिलाधीश, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 16.2.2012 पारित किये जाने से पूर्व प्रार्थीगण एवं उसके पूर्वाधिकारी को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा बिना पक्षकार संयोजित किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो एकपक्षीय होकर प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । प्रार्थीगण उपरोक्त आदेश से व्यथित पक्षकार होकर आराजी मुतनाजा उसके पैतृक खातेदारी एवं आधिपत्य की होने से हक, अधिकार एवं आधिपत्य निहित करते है । उक्त आदेश को चुनौती दिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विद्वान जिलाधीश, अजमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है । इस कारण प्रार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की तत्समय जानकारी नही हो सकी थी । अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.4.2012 को हुई जब रेस्पो0 संख्या 2 अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा अपीलांटस की खातेदारी व आधिपत्य की भूमि का नाप–चौप किये जाने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता से संपर्क कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 17.5.2012 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने एवं जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान जिलाधीश, अजमेर का आदेश दिनांक 16.2.2012 आराजी मुतनाजा की हद तक विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । विद्वान जिलाधीश, अजमेर ने अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांटस के पैतृक हक, अधिकार व आधिपत्य की आराजी मुतनाजा को नगर पालिका, पुष्कर के पक्ष में हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस एवं उनके पूर्वज संवत्

2015 से पूर्व से ही बहैसियत संयुक्त खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है, जिन्हें बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये तथा सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज सिवायचक अंकित कर दिया । तत्पश्चात् इस गैरकानूनी इंद्राज के आधार पर विद्वान जिलाधीश ने विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 को अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय आदेश द्वारा हस्तातंरित कर दी जबकि विधिक प्रावधानों के तहत उक्त प्रक्रिया के अनुसार तथा प्रशासनिक आदेश के तहत विधिक खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर किसी भी पक्षकार को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् उसे राज0काश्त0अधि0 1955 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत ही विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर खातेदारी निरस्त की जा सकती है। विद्वान जिलाधीश ने अपने अपीलाधीन आदेश में प्रकरण में निहित अपीलांटस की पैतृक संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की भूमियों को पड़त होना अंकित कर रेस्पो0 संख्या 2 के हक में हस्तातंरित की है जबकि उनके द्वारा राजस्व एजेन्सी बाबत् विधिक प्रावधानों के तहत किसी प्रकार की कोई जांच/रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस एवं उनके पूर्वज राज0काश्त0अधि0 1955 के अजमेर जिले में दिनांक 15.6.1958 को प्रभाव में आने की तिथि से पूर्व से काबिज काश्त चले आ रहे है जिनकी पुष्टि अपील के साथ प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजात से होती है । अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की जांच कराये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 16.2.2012 प्रकरण में निहित भूमियों की हद तक निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस के नाम खातेदारी अधिकार बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

7. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 2 नगर पालिका, पुष्कर को हस्तातंरित की है। अधी0न्याया0 के आदेश में किस प्रकार त्रुटि है अपीलांट ने साबित नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में राजकीय अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर ने नगर पालिका, पुष्कर को अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है । विवादित भूमि पर बरवक्त हस्तातंरण एवं आज दिवस तक अपीलांटस का कब्जा नहीं होकर रेस्पो0 संख्या 2 का कब्जा है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

9. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि विवादित भूमि अपीलांट के पूर्वाधिकारियों के स्वामित्व, हक, अधिकार व आधिपत्य की भूमियां है जिस पर आज दिवस तक अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विद्वान जिलाधीश, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना

एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किये है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.1997 के विरूद्ध अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाकिव प्रतीत होते है । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांटस को तत्समय अपीलाधीन आदेश की जानकारी रही हो । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश कअ/राजस्व/एफ.12 सी/12/26 दिनांक 16.2.2012 के द्वारा अन्य आराजियात के साथ ग्राम ग्राम कानस की प्रकरण में निहित आराजियात को रेस्पो0 संख्या 2 नगर पालिका, पुष्कर को अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वर्किग जमाबंदी प्रभाव में आने से आज दिवस तक राजस्व रिकार्ड में सिवायचक पड़त दर्ज रही है । यदि अपीलांटस के कोई हक व अधिकार निहित थे इन्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी । किन्तु अपीलांटस द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना पत्रावली से प्रतीत नही होता है । जहां तक विद्वान जिलाधीश, अजमेर द्वारा विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित किये जाने का प्रश्न है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात प्रारंभ से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक/पड़त दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने राज्य सरकार के निर्देशों से नियमानुसार जांच उपरांत रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश में क्या त्रुटि रही है यह अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2. 2012 विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

12. अतः अपील अपीलांटस आंशिक खारिज की जाती है तथा विद्वान जिलाधीश, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 सी/12/26 दिनांक 16.2.2012 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर